संतकबीरनगर पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति ***दिनॉक 30.06.2024*** ***जनपद – संतकबीरनगर***

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी कोतवाली खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुधारा ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 278/2024 धारा 363/366 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता कन्हैया पुत्र महेन्द्र निवासी साकिन बोल्डिहवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम इस्लामाबाद सेमरियावाँ तिराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 29.06.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 30.06.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, हे0का0 उमेश यादव, का0 भीम कुमार, म0आ0 सुमन कुमारी।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना धनघटा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम चौथी पुत्र गोमती निवासी बघौड़ा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री घनश्याम, का0 हजरत शहनवाज।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 10 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा*151/ 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

संतकबीरनगर पुलिस

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 82 वाहनों से 1,11,500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 82 वाहनों से 1,11,500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।